राजस्व अनुवृति पत्र

राजस्व मामला क्रमांक–202505263400025/अ62/2024–25

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश पत्र अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर आदेशों
10.06.2025	–प्रकरण प्रस्तुत। –प्रकरण का अवलोकन किया। –तहसीलदार रामानुजनगर के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि दिनॉक 05/05/2025 को ग्राम–सागरपुर में गाड़ी क्रमांक– UP72AT4915 में अवैध रूप से लकड़ी का भण्डार किया जा रहा था जिससे रास्ते में रोकर पूछताछ किया गया। जिसमें ड्राइवर के बताये अनुसार ग्राम सागरपुर में विनय आ0 दीपनारायण का पेड़ काटकर लगभग 20 नग सेमर की लकड़ी ट्रक में परिवहन करते पाया गया। जिसमे जप्त कर लकड़ी व वाहन क्रमांक UP72AT4915 को थाना रामानुजनगर को सपूर्द किया गया। वृक्ष कटाई छ0ग0भ0रा0सहिंता 1959 की धारा 240 एवं 253(1) के तहत अनावेदक अकमल आ0 असलम ग्राम–अहमदपुर असौली जिला–प्रयागराज उत्तरप्रदेश को 5000/–(पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। –अनावेदक द्वारा चालान की कॉपी क्रमांक–21640 दिनॉक–15/05/2025 अधिरोपित अर्थदण्ड /राशी को चालन के माध्यम से शासन के पक्ष में जमा कर पावती इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कार्यावाही शेष नहीं है प्रकरण नस्तीबध्द कर दा.द. हो। **अनुविभागीय अधिकारी (रा0)** **रामानुजनगर,जिला–सूरजपुर (छ0ग0)**	